

रीडर

8.6.23

पत्रावली पेश हुई। वही अधिष्ठाता अनुपस्थित।
 तहसीलदार गिर्वा रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि वादी
 द्वारा सेटलमेंट पूर्व वादी के हिस्से गलत दर्ज हो जो
 से वादी बिना मुद्दे कराये पीड़ी पालना नहीं चाहता है।
 अतः तहसीलदार गिर्वा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार
 पर वादी का वाद इली स्टर पर खारिज किया जाता
 है। क्रिये स्वेरजलास लुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्वर से कम हो

[Signature]
 प्रतिभा वर्मा
 PPS
 उपखण्ड अधिकारी
 गिर्वा-उदयपुर